

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।


धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष— संजू कुमारबगैरह ।

बनाम

वाद सं0 09/2022

द्वितीय पक्ष— ब्रजनाथ साहु बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 28/10/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 05/2022 दिनांक 06/04/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) संजू कुमार उम्र 28 वर्ष पिता ओम प्रकाश (2) करमा लोहरा उम्र 32 वर्ष पिता सुरेश लोहरा (3) विनोद कुमार उम्र 32 वर्ष पिता सोमरा साहु (4) दीपन देवी उम्र 27 वर्ष पति संजू कुमार सभी सालेगुंटू थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) ब्रजनाथ साहु उम्र 57 वर्ष पिता स्व0 लोहरा साहु (2) शिवकुमार साहु उम्र 26 वर्ष पिता शिवदयाल साहु (3) चद्रावती देवी उम्र 53 वर्ष पति ब्रजनाथ साहु सभी ग्राम बरटौली कामडारा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच घर बनाकर पैसा का लेनदेन को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः द्वितीय पक्षों के पक्षों उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> <p style="text-align: right;"> अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।</p>	